

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3 (1) शिक्षा-4 / 2019

जयपुर: दिनांक:

पब्लिक नोटिस

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से आज दिनांक तक पृथक—पृथक अधिनियमों के द्वारा 53 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2003 के अनुसार ये निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी हैं, अर्थात् कैम्पस के बार इनकी कोई ब्रांच नहीं हो सकती। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 7 के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालयों को किसी भी अन्य संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं है। इन निजी विश्वविद्यालयों को बिना राज्य सरकार, यूजीसी एवं होस्ट स्टेट/कण्ट्री की पूर्व अनुमति के अपने कैंपस के अलावा राजस्थान प्रदेश, प्रदेश से बाहर देश/विदेशों में ॲफ कैंपस सेंटर/स्टडी सेंटर/ॲफ शोर सेंटर आदि स्थापित/संचालित करने का अधिकार नहीं है। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अवलोकन India code Portal (ICP), विश्वविद्यालयों की वेबसाईट या उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

समस्त निजी विश्वविद्यालय अपने—अपने अधिनियमों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रम या अपने अधिनियम की धारा-4 के तहत राज्य सरकार से अनुमति करने के पश्चात कोई अन्य पाठ्यक्रम रेगुलर मोड में स्वयं के परिसर में संचालित करने हेतु अधिकृत है। दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकते हैं।

निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा-32 के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। जिन व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बी.पी.एड., एम.पी.एड., डीएलएड, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा इत्यादि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य या केंद्र की एजेंसियां प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर प्रवेश देती हैं, अतः इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश इन एजेंसियों के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र आवंटित करवाकर ही दिए जा सकते हैं।

ऐसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम जिनमें राज्य या केंद्र की कोई एजेंसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु समान पाठ्यक्रम संचालित कर रहे निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये सीटों की संख्या एवं फीस आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे एवं परीक्षा परिणाम व प्रवेश हेतु पात्र पाए गए विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राप्तांक प्रतिशत का विवरण भी समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड में देना होगा व राज्य सरकार की प्रेषित करना होगा।

निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा-38 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व संबंधित विनियामक निकायों यथा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, काउंसिल ॲफ आयर्वेद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आदि के मापदण्डों/नियमों/निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों व विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मापदण्डों समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार भी एक विनियामक निकाय है। अतः संबंधित विनियामक निकाय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर व प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए इंटेक कैपेसिटी (सीटों की अधिकतम संख्या) स्वीकृत करवाकर उस सीमा तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शोध पाठ्यक्रम (पी.एच.डी.) में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा शोध संबंधी यूजीसी रेग्युलेशन 2022 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही दिये जा सकते हैं। एम.फिल. पाठ्यक्रम को यूजीसी द्वारा बन्द कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि फर्जी डिग्री प्राप्त करना, इसके आधार पर रोजगार प्राप्त करना अथवा व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर डिग्री प्राप्त करने वाला विद्यार्थी व डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान समान रूप से दोषी हैं। अतः किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व युक्तियुक्त सावधानी बरतना छात्रों एवं अभिभावकों का भी दायित्व है।

RajKaj Ref
7392573



Signature valid

Digital signed by Subr Kumar
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2024.05.28 19:50:20 IST
Reason: Approved

हाल ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सम्पादित भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित अध्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के निजी विश्वविद्यालयों की फर्जी/बिना अध्यापन के बैंक डेट में प्राप्त की गई डिग्रीयों के प्रकरण संज्ञान में आए हैं व कूटरचित तरीके से डिग्रीयां व खेल प्रमाण पत्र देने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। ऐसे प्रकरणों में भर्ती एजेन्सियों/एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर अध्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है व आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

सत्र 2024–25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अनेक निजी विश्वविद्यालयों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। परन्तु इन विज्ञापनों में न तो प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या का उल्लेख किया जा रहा है, न ही आवेदन की अंतिम तिथि, प्रवेश हेतु चयन का माध्यम आदि का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जिनमें प्रवेश राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित कर उसके माध्यम से विद्यार्थी आवंटित करके ही प्रवेश दिये जा सकते हैं।

अतः सभी अभिभावकों/विद्यार्थियों एवं आमजन को उनके हित में यह पब्लिक नोटिस जारी कर सूचित किया जाता है कि वे भ्रामक विज्ञापनों से बचें व निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अधिकृत है। उसके द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित विनियामक निकाय के मानदण्डों, नियमों की पालना की जा रही है तथा प्रवेश हेतु सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करवा लिया गया है व निर्धारित सीटों की संख्या सीमा तक ही प्रवेश दिये जा रहे हैं। प्रवेश अधिनियम के प्रावधानानुसार अधिकृत एजेन्सियों द्वारा आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र आवंटित करवाकर ही दिये जा रहे हैं। नियमित अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा आदि समस्त कार्य विश्वविद्यालय कैम्पस में ही किये जा रहे हैं, विश्वविद्यालय के पास पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु योग्य एवं पर्याप्त शिक्षक हैं तथा अन्य समस्त आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं, आदि। कोई भी विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व डिग्री, डिप्लोमा प्रदान नहीं कर सकता है। अतः पूर्व तिथि से प्रवेश दिखाकर केवल परीक्षा की औपचारिकता कर डिग्री देने वाले संस्थानों में प्रवेश नहीं लेवें।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, मा० उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- सचिव, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, पीसीआई, एफसीआई, आईसीएआर, डीसीआई, नई दिल्ली।
- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पब्लिक नोटिस को जनसाधारण की सूचनार्थ देश/प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पब्लिक नोटिस को जनहित में उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर मुख पृष्ठ पर अविलम्ब प्रदर्शित करें तथा इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।
- कुलसचिवगण समस्त निजी विश्वविद्यालयों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व राज्य सरकार एवं विनियमन निकायों के समस्त नियमों, परिनियमों, मापदण्डों, दिशानिर्देशों इत्यादि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें एवं इस पब्लिक नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर व विश्वविद्यालय कैम्पस में सार्वजनिक स्थान पर नोटिस बोर्ड पर चर्चा कर विभाग को अवगत करावें तथा विहित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

RajKaj Ref
7392573

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2024.05.28 19:50:20 IST
Reason: Approved